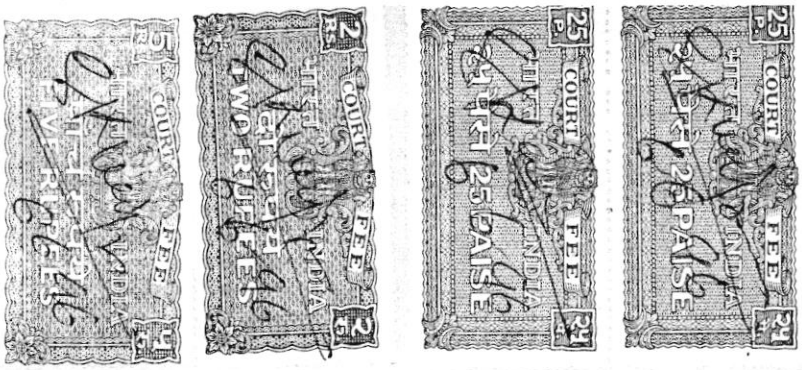

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०क्र० १६६ पुनरीक्षण

निग० 1-III/96

R-1921-III/03

क्रमांक 65-III
श्री एस० के० दुबे
अधिभाषक द्वारा आज दिनांक 6.6.96
को प्रस्तुत
6.6.96
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

मोलाप्रसाद पाण्डेय तनय जमुनाराम
निवासी ग्राम मोरहना तहसील हनुमना
जिला रीवा ------ आवेदक

विरुद्ध

१- अनिलकुमार पाण्डेय तनय रामचन्द्र पाण्डेय
निवासी ग्राम मोरहना तहसील हनुमना
जिला रीवा

२- श्री एस० के० दुबे, अनुविभागीय अधिकारी
हनुमना जिला रीवा

------- अनावेदकगण

अपर आयुक्त रीवा संभाग व्दारा प्रकरण क्रमांक ११४।अन्तरण।६५-६६ में पारित आदेश दिनांक २७-५-६६ के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० सहपठित धारा २६(१) भू राजस्व संहिता १६५६

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

(१) यह कि आवेदक मोलाप्रसाद के हित में तहसील न्यायालय व्दारा दिये गये नाम अंकित करने के आदेश के विरुद्ध अनावेदक-१ ने अनुविभागीय अधिकारी हनुमना अनावेदक क्रमांक २ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है जो उनके समक्ष सुनवायी हेतु लम्बित है ।

(२) यह कि अनावेदक क्रमांक १ एवं २ के मध्य सम्बन्धों की जानकारी होने पर आवेदक ने जब तथ्यों का पता किया तब आवेदक को पता लगा कि अनावेदक-१ की सगी बहन एवं अनावेदक क्रमांक २ की पुत्री के विवाह

-- २

R 192.1/III/03 रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-11-17	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 114/1995-96 अंतरण में पारित आदेश दिनांक 27-5-1996 के विरूद्ध म0प्र0 भू. राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने अति.आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 29 के अंतर्गत आवेदन देकर अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के प्रकरण कमांक 276 अ-6-अ/95-96 को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में हस्तांतरित करने की प्रार्थना की, अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 27-5-1996 से आवेदक की इस मांग को खारिज कर दिया। आवेदक के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि विचाराधीन मामला वर्ष 1996 का है एंव वर्ष 1996 में अनुविभाग हनुमना में तत्समय पदस्थ रहे अनुविभागीय अधिकारी (जिनकी कार्य-पद्धति से आवेदक असंतुष्ट रहा है) वर्तमान में पदस्थ बने रहने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी व्यर्थ हो जाने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है।	

शाक्षेमुग्वा—355—फॉर्म्स—3-2-16—30,000 प्रपत्र.